न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस.
राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./99/2021/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. फतु पुत्र बचू 2. मिजू पुत्र बचू, जातियान मुसलमान, निवासी सेड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1. सुलतानखान पुत्र उमरखान 2. कायमखान पुत्र उमरखान 3. कला पत्नी इकबाल हुसैन, जातियान मुसलमान, निवासी सेड़वा, तहसील सेडवा, जिला बाड़मेर। 4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सेड़वा। 5. सहायक अभियंता, जो. वि. वि. निकृलि. सेड़वा 6. शाखा प्रबंधक बी सी सी बी शाखा सेड़वा। 7. तहसीलदार, सेड़वा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2021 बउनवान सुलतानखान बनाम फतू वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2021 के विरूद्ध पेष हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री लाधूराम पुनियां रेस्पों. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः–06.03.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेड़वा, पटवार हल्का सेड़वा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 642/335 रकबा 120 बीघा किस्म बा. सो. में उत्तरदाता संख्या 1 से 3/वादीगण जिसमें प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा व अपीलांट संख्या 1/प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 का 3/8 हिस्से का संयुक्त खोतदारी का खेत आया हुआ है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण बहिस्सा कब्जा काश्त है। राजस्व रेकर्ड में हिस्से अंकित हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिस अनुसार ही पक्षकारान कब्जा–काश्त (ढाणी, टांका, पशुबाड़े इत्यादि) काबिज हैं। वर्तमान में प्रतिवादी(अपीलार्थी) द्वारा वादी(रेस्पों.) के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करता है तथा वादी के कब्जे काश्त को जबरन उसके हिस्से से बेदखल करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में वादी (रेस्पों.) वादग्रस्त खसरान में अपने कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करने के अधिकारी हैं। जिस हेतु बंटवारे का वाद पेश किया था। जिस पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पों. संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेड़वा, पटवार हल्का सेड़वा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा में खेत खसरा संख्या 642/335 रकबा 120 बीघा किस्म बा. सो. में उत्तरदाता संख्या 1 से 3/वादीगण जिसमें प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा व अपीलांट संख्या 1/प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 का 3/8 हिस्से का संयुक्त खोतदारी का खेत आया हुआ है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का सम्पूर्ण अवसर दिये ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय आनन–फानन में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलाधीन राजस्व वाद संख्या 75/2021 के आदेशिका दिनांक 30.06.2021 में राजस्व वाद दर्ज होने व नोटीस जारी होने की आदेशिका पर पिठासीन अधिकारी व किसी भी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर नही होने से उक्त पत्रावली को दर्ज नही माना जा सकता इसलिए बिना दर्ज हुए नोटीस जारी होना भी नही माना जा सकता जबकि आदेश 5 के नियम 1 से 5 के अनुसार नोटीस जारी नही होने से उक्त वाद न तो दर्ज हुआ है न ही नोटीस जारी हुए है न ही नोटीसों को कही आउटर्वड दर्शाया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील के आवउटर्वड रजिस्टर में क्रमांक 807 पर इन्द्राज बताया है जबकि ऐसा कही भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली में अंकित नही है इस प्रकार राजस्व वाद के पत्रावली में नोटीसो के जारी होने का तथा दिनांक 06.07. 2021 को कोई आउटर्वड नही होने से तथा दिनांक 15.07.2021 से लेकर 24.09.2021 तक की पत्रावली में कही भी नोटीस वापस प्राप्त होने का इन्द्राज नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी समन की उचित तामील न होने के बावजूद गलत रूप से एकतरफा आदेश पारित किया गया जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात ही प्रभावी आदेश दिया जाना न्यायोचित है इस प्रकार आलोच्य आदेश मे समनो के तामील व एकतरफा कार्यवाही में भारी अनियमितता वरती गई है इस प्रकार नोटीस किस तारीख को जारी हुए तथा किस तारीख को वापस प्राप्त हुए आदेशिका में इन्द्राज नही होने से नोटीस की समस्त कार्यवाही फर्जी व विधि विरुद्ध है तथा जो फर्जी नोटीस तैयार किये गये वो भी हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना के पत्रावली में लगे हुए है जिन पर कही भी वाद संख्या अंकित नही है जबकि राजस्व वाद में विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5) का ही जारी होने पर तलबी मानी जाती है इसीलिए इस आदेश व नियम के तहत तलबी नही होने से अपीलान्ट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही नही की जा सकती है इस प्रकार विधि के सिद्धान्तो की घोर अवहेलना की गई। दिनांक 29.09.2021 को उक्त प्रकरण में अति आवश्यक प्रकृति का होने का आवेदन पेश किया गया परन्तु उक्त आवेदन का कोई नोटीस अपीलान्ट को नही दिया गया न ही उक्त आवेदन पेश करने की कोई वजह बतायी गई न ही उक्त आवेदन का कोई निर्णय पारित किया गया तो न्यायालय ने एक ही दिन में अनुचित रूप से बिना विधि समत तामिल के एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 जो विकास अधिकारी पंचायत समिति सेड़वा को भी एकतरफा कर दिया गया जबकि पेरोकार सरकार हर समय न्यायालय में उपस्थित रहता है तथा पंचायती राज अधिनियम की धारा 109 के अनुसार किसी भी पंचायती राज ईकाई के विरूद्ध वाद पेश करने से पुंव दो माह का नोटीस दिया जाना आवश्यक होता है इस प्रकार बिना दो माह का नोटीस दिये यह वाद र्दज होने के योग्य भी नही था न ही धारा 80 (2) सीपी सी के प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई हुई जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि 80 (2) सी पी सी के आवेदन का निस्तारण करना आवश्यक है इसीलिए उक्त वाद की पत्रावली में धारा 80 (2) सी पीसी के बारे में कही भी अंकन नही किया गया है जबकि वाद के पेरा संख्या 5 में उक्त आवेदन अलग से पेश होने का इन्द्राज है इस प्रकार उक्त र्निणय दुषित होने से काबिले निरस्त है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अवैधानिक रूप से की गई इस प्रकार उक्त र्निणय विधि के मन्शा के विपरित होने से काबिले निरस्त है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा दिनांक 29.09.2021 प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा इस डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर कब भेजी यह पत्रावली में नही है जबकि 02.10.2021 से राजस्व शिविर लगातार शुरू हो गये तो 05.10.2021 को नोटीस कैसे जारी कर दिये तथा उसी दिन तामील कैसे हो गया। मिजू अनपढ व्यक्ति होने से धोखाधडी से उसके नोटीस पर अंगुठे करवा लिये तथा फतू जो साक्षर था उसे नोटीस नही दिखाया पत्नी से अंगुठा राजस्व शिविर में पेशन दिलाने का कह कर करवा लिये तथा विभाजन प्रस्ताव तहसील में बैठे–बैठे ही बना दिया जहां अपीलान्ट के घर बने हैं जो आबादी के पास किमती है वो उतरदाता ने ले ली जो सरासर गलत होने से खारीज होने योग्य है।

अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर पुनः उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि संगत निर्णय पारित करने का आदेश प्रदान करावें। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। नियमावली अनुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की सहमति से मुर्तिब किया जाना उल्लेखित है जबकि प्रश्नगत मौका रिपोर्ट में अपीलांट को समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के भौतिक कब्जा–काश्त के विपरीत जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसमें अपीलांट के कब्जे काश्त यथा टाणी, टांके, पशु बाड़ा का ध्यान नहीं रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रर्दश दस्तावेज के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल की विभाजन प्रस्ताव नियमावली में वर्णित नियम 18 से 21 की पालना का अभाव है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है क्योंकि सभी पक्षकारों को न्यायालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये। उक्त समस्त पक्षकारान के नोटिस तामील शुदा मय रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुए। अपीलांट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आए इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है उक्त के संबंध में निवेदन है कि सभी पक्षकारान को मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। उसके बावजूद पक्षकारान द्वारा मौके पर उपस्थित नहीं होने पर हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। इसलिए अपीलांट के उक्त कथनों को कोई सार नहीं है। वादी की खातेदारी भूमि को हड़प करने की नियत से हस्तगत अपील के जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपीलांट द्वारा चुनौती दी गई। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष को सूचना प्रदान किये जाने के बाद तैयार किया गया है। अपीलांट द्वारा रेस्पों. संख्या 1 को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी पर सभी पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा–काश्तशुदा है। रेस्पों. (वादीगण) को अपनी हक–हिस्से की आराजी को उपजाऊ बनाने एवं अपने कृषि कार्यों के विकास हेतु बैक संस्थाओं से ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा था। इसलिये सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करने हेतु वाद पेश किया था। जिसको आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बनाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी की गई थी। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय में सभी सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटस की अपील को सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष को सूचित किये जाने के बाद तैयार किया गया प्रतीत होता है। उक्तानुसार अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट की आपत्तियों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार के आदेशानुसार मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर अपीलाधीन अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए। सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार के निर्देशानुसार विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है। अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2021 बउनवान सुलतानखान बनाम फतू वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 15.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर